

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सं. DE.15(118)/PSB/ EWS/2nd onwards /2024/4855-4859

दिनांक: 29/08/2024

परिपत्र

विषय: डीडीए/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे दिल्ली के निजी गैर सहायतामान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों पर कक्षा-2 से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु दिशानिर्देश।

1. अधिसूचना संख्या के खंड 3AF.19/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/PSB/2018/26923 दिनांक 23/07/2018, के अनुसार, सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल भी प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल/नर्सरी, पूर्व-प्राथमिक/के.जी. और कक्षा-1) से ऊपर की अन्य कक्षाओं में किए गए सभी नए प्रवेशों में 20% तक पड़ोस के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उसी तरह से प्रवेश देंगे जैसा कि निदेशालय की अधिसूचना संख्या 15/(172)/DE/ACT/2010/69 दिनांक 07/01/2011 में प्रावधान किया गया है।

2. डब्ल्यूपीसी संख्या 4607 शीर्षक "जस्टिस फॉर ऑल बनाम शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी, में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उपलब्ध सीटें भरी जाएंगी और विभाग ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए एक तंत्र (मैकेनिज्म) विकसित करने के लिए अपनी सहमति भी दी है।

3. सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान विभाग ने ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए डीडीए/सरकारी भूमि पर चल रहे निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पहले भी आयोजित की थी। सत्र 2024-25 के लिए भी प्रवेश की यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

4. निदेशालय अधिसूचना दिनांक 23/07/2018 अनुपालनार्थ, DoE शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी भूमि पर चल रहे निजी अनुदानित मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए उपलब्ध सीटों के विरुद्ध EWS/फ्रीशिप श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके और कंप्यूटरीकृत

डा के माध्यम से चयन करके प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। आवेदक निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर होम पेज पर "EWS/Free-ship admission" लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करें:

5. एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उसी फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे।

6. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। यदि किसी भी चरण में एक से अधिक/डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ/आवेदन पाए जाते हैं, तो प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के बाद भी बच्चे की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द किया जा सकता है। साथ ही, निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.10.2023 के अनुसार, दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS श्रेणी के तहत दूसरी कक्षा से आगे के लिए प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए माता-पिता/कानूनीअभिभावक का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है, ताकि आवेदनों के दोहराव से बचा जा सके। हालाँकि, EWS श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

7. आदेश संख्या DE.15(1025)/PSB/2023/Pt.file/7706-7711 दिनांक 01.09.23 के अनुसार, एक बच्चा अनुदानित स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दूसरी कक्षा से आगे की कक्षाओं में प्रवेश का लाभ केवल एक बार प्राप्त कर सकता है। जो बच्चा पहले ही EWS श्रेणी के तहत प्रवेश प्राप्त कर चुका है, वह फिर से EWS श्रेणी में अनुदानित स्कूलों में आवेदन नहीं कर सकता है।

8. यदि माता-पिता किसी जानकारी को बदलना/सुधारना चाहते हैं, तो वे आवेदन पत्र को हटा (डिलीट) सकते हैं और सही विवरण के साथ फिर से जमा कर सकते हैं। यह केवल ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक किया जा सकता है।

9. दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण हो और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अपेक्षित आय प्रमाण पत्र (वार्षिक एक लाख रुपये से कम), BPL/AAY(राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):- आय प्रमाणपत्र (वार्षिक 1 लाख रुपये से कम) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए। आय प्रमाणपत्र की तारीख या आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन/रसीद की तारीख ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन की

अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए। BPL/AAY (राशन कार्ड/फूड सिक्योरिटी कार्ड धारक) जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत अनुदानित मान्यता प्राप्त स्कूलों में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

11. उपर्युक्त विस्तृत दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदानित विद्यालयों का आवंटन अभिभावकों द्वारा विशिष्ट आवासीय पते के संबंध में ऑनलाइन भरे गए विद्यालय के विकल्पों में से कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से किया जाता है। हालांकि, यदि प्रवेश के समय आवासीय पते के दस्तावेजों में ऑनलाइन भरे गए आवासीय पते से कोई भिन्नता होती है, तो स्कूल आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

12. आवासीय पताकंप्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सीट आवंटन का मुख्य मानदंड होता है। हालांकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक जानबूझकर गलत स्थानीयता/उप-स्थानीयता/उप-उप-स्थानीयता चुनकर पसंदीदा स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इसमें हेर-फेर करते हैं। इसलिए, आवासीय पता (यानी स्थानीयता/उप-स्थानीयता/उप-उप-स्थानीयता) के विवरण को भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं, जो अग्रलिखित हैं:-

आवासीय पता	
इलाका	क्षेत्र
उप-स्थानीय क्षेत्र	गाँव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि।
उप उप-स्थानीय क्षेत्र	

संशोधन के अनुसार, यदि कोई भी माता-पिता/अभिभावक पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी भरता है, तो उसके बच्चे का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

13. यदि प्रवेश के समय या बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली/नकली पाए जाते हैं, तो बच्चे का प्रवेश/आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है, तो उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

- i आवेदन पत्र / स्कूल आवंटन पर्ची का प्रिंटआउट।
- ii उम्मीदवार की दो तस्वीरें।
- iii उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति (अनिवार्य नहीं)।
- iv माता-पिता/कानूनी अभिभावक के आधार कार्ड की प्रति।

- v कानूनी अभिभावकत्व की स्व-सत्यापित प्रति (यदि लागू हो)।
- vi जन्म तिथि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
- vii निवास प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
- viii वैध आय प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- viii वैध आय प्रमाण पत्र /BPL/AAY (राशन कार्ड / खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) की स्व-सत्यापित प्रति।
- ix प्रवेश के लिए उम्मीदवार का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC) संबंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी / उपशिक्षा निदेशक) संबंधित ज़ोन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- x प्रवेश के समय आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
- माता-पिता/अभिभावकों को विद्यालय प्राधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज भी अपने पास रखने होंगे।**

आयु सीमा के संबंध में।

सुधार पत्रांक DE.15(298)/PSB/2019/1701-1707 दिनांक 15/02/2019 अनुसार, सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध कक्षा 2 से ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आयु मानदंड के संबंध में।

कक्षा	आयु सीमा 31.03.2024 तक
IIInd	बच्चे की आयु 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए
IIIrd	बच्चे की आयु 7 वर्ष से अधिक लेकिन 8 वर्ष से कम होनी चाहिए
IVth	बच्चे की आयु 8 वर्ष से अधिक लेकिन 9 वर्ष से कम होनी चाहिए
Vth	बच्चे की आयु 9 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
VIth	बच्चे की आयु 10 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम होनी चाहिए
VIIth	बच्चे की आयु 11 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम होनी चाहिए
VIIIth	बच्चे की आयु 12 वर्ष से अधिक लेकिन 13 वर्ष से कम होनी चाहिए
IXth	बच्चे की आयु 13 वर्ष से अधिक लेकिन 14 वर्ष से कम होनी चाहिए

16. उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए संभावित कार्यक्रम और निर्देश इस प्रकार हैं:-ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के आवेदकों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल खोलना।	03/09/2024 (वीरवार)
ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।	13/09/2024 (शुक्रवार)

ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के लिए प्रथम कम्प्यूटरीकृत
ड्रा की तिथि।

20/09/2024 (शुक्रवार)

17. कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवेदक को एक बार आवंटित स्कूल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

18. यदि सफल आवेदक प्रवेश के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सफल उम्मीदवारों को एसएमएस के माध्यम से भेजे गए संदेश के अनुसार 04/10/2024 (शुक्रवार) दोपहर 01:00 बजे तक आवंटित स्कूल से संपर्क/रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

19. यदि किसी चयनित आवेदक को प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो स्कूल स्पष्ट रूप से अस्वीकृति का कारण बताएगा। कारणों की श्रेणी निम्नलिखित आधारों में से चुनी जा सकती है:-

- अभ्यर्थी द्वारा वैध जन्म तिथि प्रमाण प्रस्तुत न किया जाना।
- वैध निवास प्रमाण प्रस्तुत न किया जाना।
- वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण प्रस्तुत न किया जाना।
- प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन फॉर्म और दस्तावेजों में भरे गए पते के विवरण में भिन्नता।

• आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं दर्शाई गई है।

• प्रवेश के किसी भी चरण में पाई गई डुप्लिकेट प्रविष्टि अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

20. संबंधित स्कूल प्रमुख ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन/सुधार करने के लिए उम्मीदवार के माता-पिता को अनावश्यक रूप से विभाग को नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। बल्कि उन्हें विशिष्ट मामलों की वास्तविकता/योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और अनुचित तुच्छ आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करना चाहिए।

21. प्रवेश यथाशीघ्र दिया जाए ताकि बच्चे यथाशीघ्र शैक्षणिक सत्र में शामिल हो सकें।

22. प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की मांग पर रोक के संबंध में "कैपिटेशन शुल्क का अर्थ स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या भुगतान का योगदान है" एल.पीए 196 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार /2004 राकेश गोयल बनाम के मामले में। मोंट फोर्ट स्कूल और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) के तहत कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय माता-पिता से कोई कैपिटेशन शुल्क, दान नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो कैपिटेशन शुल्क से 10 गुना तक हो सकता है।

23. DoE द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक संबंधित निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा DoE द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करने और कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से चयनित सफल उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में उप निदेशक (जिला) की अध्यक्षता में एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

24. उपरोक्त के अतिरिक्त, शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी में कक्षा 2 से आगे की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत या प्रश्न के लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है।

25. उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों के अनुपालनार्थ जारी किए गए हैं और आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से जारी किया गया है।

सु.बि.

सुषिता बिजू

उप निदेशक (शिक्षा) (PSB)

सं. DE.15(118)/PSB/ EWS/2nd onwards /2024/4855-4859

दिनांक: 29/08/2024

प्रति:

1. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
2. निजी सचिव, निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
4. सभी उप-निदेशक (शिक्षा) - जिला, शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
5. प्रभारी-कंप्यूटर सेल (विभागीय वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर में अपलोड करने के अनुरोध सहित)

सु.बि.

सुषिता बिजू

उप निदेशक (शिक्षा) (PSB)